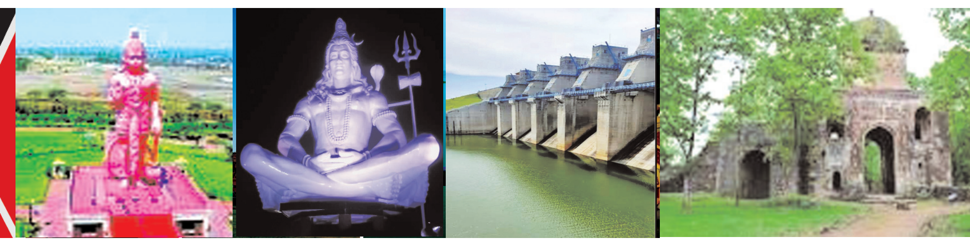

वनांचलों के 150 जनजातीय परिवारों के घरों को सौर ऊर्जा से किए रोशन

जंगल और पहाड़ियों में बसे घरों में पहली बार होगी रोशनी

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा,9 अप्रैल. जुन्नारदेव विकासखंड के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों में बसे जिन गांवों ने पीढ़ियों तक अंधेरा ही देखा, वहां अब रोशनी ने दस्तक दे दी है। यह बदलाव केवल बिजली का नहीं, बल्कि उम्मीद, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य का है।

ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान की पहल ने उन बस्तियों में उजाला पहुंचाया है, जहां अब तक विकास की किरणें भी नहीं पहुंच पाई थीं। संस्थान द्वारा 'अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते हमारे कदम' संकल्प के तहत ग्राम पंचायत टेमरू और पील्हावाड़ी के कई दूरस्थ ग्रामों गुराल देव ढाना, ओरापाटी, हरदू, घुन्नोर, झादराम ढाना, कुडारमऊ और भुला ढाना को चयनित कर सौर ऊर्जा से रोशन किया गया। इस पहल से 150 जनजातीय परिवारों के घरों में पहली बार स्थायी रोशनी पहुंची है। हर परिवार को 75 वॉट का आधुनिक लक्ष्मी होम लाइट सिस्टम उपलब्ध कराया गया, जिसमें सोलर पैनल, मजबूत बैटरी और चार एलईडी लाइट्स शामिल हैं। खास बात यह रही कि इन सोलर सिस्टम को प्रशिक्षित स्थानीय सोलर इंजीनियर युवतियों ने स्थापित किया, जिससे तकनीकी सशक्तिकरण के साथ रोजगार के अवसर भी बने।

बच्चों के जीवन में दिख रहा असर

इस रोशनी का सबसे बड़ा असर बच्चों के जीवन में दिख रहा है। जो बच्चे पहले सूर्यास्त के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वे अब सोलर लाइट में अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। वहीं, रात के अंधेरे में जंगली जानवरों के डर से जूझने वाले ग्रामीणों को अब सुरक्षा का एहसास हो रहा है।

नई उम्मीद जगाने वाला कदम

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी इस पहल को जनहित में एक अनुकरणीय प्रयास बताया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राहुल देव ठाकरे ने इसे ग्रामीणों के जीवन में नई उम्मीद जगाने वाला कदम बताया, जबकि जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री रश्मि चौहान ने कहा कि इस तरह के प्रयास प्रशासन और समाज के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

गांव को मुख्यधारा से जोड़ना उददेश्य

संस्था के निदेशक विजय धवले ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल रोशनी पहुंचाना नहीं, बल्कि इन गांवों को शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। वर्षों से अंधेरे में जीवन बिताने वाले इन ग्रामीणों के लिए यह पहल किसी वरदान से कम नहीं है। अब इन वनांचलों में सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि उम्मीदें भी रोशन हो रही हैं और यही असली विकास की पहचान है।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर किया जुर्माना, हटाया अतिक्रमण

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा,9 अप्रैल. गुरुवार को नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान डीडीसी कॉलेज गेट के सामने तथा पुराना नागपुर नाका क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान शासन द्वारा प्रतिबंधित अमानक सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन एवं डिस्पोजल का उपयोग करते पाए गए 5 दुकानदारों के विरुद्ध कुल 5,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उनके पास से प्लास्टिक पॉलीथिन जब्त की गई।नगर निगम की टीम द्वारा संबंधित दुकानदारों को भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं डिस्पोजल का उपयोग न करने की सख्त समझाइश भी दी गई। यह कार्रवाई स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार गढेवाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें वार्ड सुपरवाइजर निक्की सारवान भी उपस्थित रहे। नगर निगम द्वारा इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहने की बात कही गई है, ताकि शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।

अवैध ठेलों पर की कार्रवाई

आज इमली खेड़ा चौराहे पर कार्रवाई की गई। यहाँ से सब्जी और फल-फ्रूट बेचने वाले ठेला व्यापारियों को हटाया गया और उनका सामान जब्त कर भरतादेव वाटर सप्लाई प्लांट में भेजा गया। इसके बाद निगम की टीम ने फल-फ्रूट विक्रेताओं को व्यवस्थित किया और उन्हें निर्धारित स्थानों पर जाकर व्यापार करने के निर्देश दिए। पोस्ट ऑफिस मोहबे, मार्केट, मिर्ची बाजार, इतवारी बाजार और फव्वारा चौक के सभी व्यापारियों को भी समझाइश दी गई।

सागौन की तस्करी करते तीन आरोपी पकड़ाए

जाखावाड़ी वन अमले ने कार्रवाई कर सागौन की 7 चिरान की जब्त

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा,9 अप्रैल. आए दिन सागौन की तस्करी करने के मामले सामने आ रहे है बीती रात भी छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र के जाखावाड़ी वन चौकी के अमले ने सागौन की तस्करी करने वाले तीन आरोपी को पकड़कर उनके पास से 7 नग सागौन की चिरान जब्त किया है.

उप वनमंडलाधिकारी अनादी बुधोलिया के मार्गदशन में छिंदवाड़ा परिक्षेत्र अधिकारी नीरज बिसेन को सूचना मिली थी जाखावाड़ी क्षेत्र में सागौन की तस्करी होने वाली है .

मुखबिर की सूचना के बाद परिक्षेत्र अधिकारी नीरज बिसेन ने जाखावाड़ी वन चौकी के अमले को सर्तक कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. बुधवार कि दरमेयानी रात को मुखबिर कि सुचना पर जाखावाड़ी वन चौकी के अमला सागौन तस्करों को पकड़ने में जुट गया था. रात के समय वन अमले ने एमपी 28 एमजी 2415 होंडा साईन एवं एमपी 28 जेडबी 8501 स्कुटी में रख कर सागौन की तस्करी कर रहे आरोपी समीर घोतरे पिता बिसन घोतरे 22वर्ष निवासी राधादेवी , राकेश विश्वकर्मा पिता रघुनाथ 36 वर्ष निवासी नौलाझीर थाना चांद और मनोज पिता रामकिशन घोतरे 22वर्ष निवासी लोहागीं को हिरासत में ले लिया. वन अमले ने आरोपियों के पास से 7 नग सागौन की चिरान जब्त कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनसे पूछताछ करने में जुट गई है. उक्त कार्रवाई में छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र अधिकारी नीरज बिसेन रेंजर, डिप्टी रेंजरओपी मर्सकोले सहित रमेश मर्सकोले, अभीषेक रघुवंशी, दामोदर सिरसवे, उमाशंकर शर्मा, वनरक्षक एवं सुरक्षा श्रमिक की अहम भूमिका रही.

सफाई मित्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा,9 अप्रैल. नगर निगम में महापौर विक्रम अहके एवं आयुक्त सी.पी. राय के मार्गदर्शन में 09 अप्रैल को निगम सभाकक्ष में स्वच्छता स्वाभिमान अभियान अंतर्गत सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में आदित्य वर्मा एवं देव पाठक द्वारा सफाई कर्मचारियों को कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उपयोग तथा समग्र कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वच्छता चैंपियन डॉ. मीरा पराड़कर एवं डॉ. महेश बन्देवार द्वारा सभी सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। महापौर एवं आयुक्त महोदय ने सफाई मित्रों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आवश्यक बताया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता एवं जनजागरूकता के क्षेत्र में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

ई.व्ही.एम. - व्ही. व्ही.पी.ए.टी. का निरीक्षण 13 को

छिन्दवाड़ा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल के पत्र के परिप्रेक्ष्य में वेयर हाउस, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास ईएलसी चौक नागपुर रोड छिंदवाड़ा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरेंद्र नारायन द्वारा 13 अप्रैल को प्रात: 11 बजे आयोग के निर्देशानुसार ई.व्ही.एम. - व्ही.व्ही.पी.ए.टी. का निरीक्षण किया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी छिंदवाड़ा श्रीमती ज्योति ठाकुर ने निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष/ सचिव, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अथवा उनके प्रतिनिधियों से उपस्थिति का आग्रह किया है।

बड़ी खुशखबरी, विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण का अवसर

छिंदवाड़ा. छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महापौर महापौर विक्रम सिंह अहके के सहयोग से छात्रों के लिए एक माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्पोकन इंग्लिश, करियर गाइडेंस तथा एमपीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान की जाएंगी।कार्यक्रम की कक्षाएं 10 अप्रैल से प्रारंभ होंगी, जिसका आयोजन एमएलबी स्कूल, छिंदवाड़ा में किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन चाणक्य अकैडमी में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर 6265662499 पर संपर्क कर सकते हैं। यह पहल महापौर के प्रयासों से विद्यार्थियों के उज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण है।

जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन 13 अप्रैल को

छिन्दवाड़ा. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन 13 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक के बाद दोपहर 1 बजे आयोजित की गई है।

यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया सड़क सुरक्षा अभियान

लापरवाह वाहन चालकों के काटे चालान

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा,9 अप्रैल. विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत बसों, ऑटो तथा अन्य वाहनों की सघन जांच की गई तथा आवश्यक दस्तावेजों जैसे फिटनेस, बीमा, नंबर प्लेट, सीट बेल्ट, हेलमेट, बिना वर्दी पहने वाहन चलाना आदि की जांच गई।

साथ ही वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधिसम्मत चालानी कार्रवाई की गई ।विशेष रूप से बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, तेज गति से वाहन चलाना, बिना नंबर प्लेट/अवैध नंबर प्लेट का उपयोग, दस्तावेजों का अभाव तथा ओवरलोडिंग जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चालक के 48 प्रकरण से 14,400 रूपये , बिना सीट बेल्ट वाहन चालक के 18 प्रकरण पर 9,000 रूपये , नंबर प्लेट संबंधी उल्लंघन 10 प्रकरण पर 5,000 रूपये ,यातायात संकेतों का उल्लंघन 11 प्रकरण पर 5500 रूपये 5. तेज गति से वाहन संचालन 07 प्रकरण पर 7,000 रूपये , दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठना 6 प्रकरण पर 3000 रूपये ,वाहन के दस्तावेज पेश न करना 06 प्रकरण पर 3,000 रूपये , फिटनेस/बीमा संबंधी उल्लंघन 2 प्रकरण पर 3,000 रूपये, वर्दी धारण न करना 18 प्रकरण पर 9,000 रूपये , आदेशो की अवेज्ञा करना प्रकरण 02 पर 4000 रूपये समन शुल्क की राशि वसूल की गयी। इस प्रकार कुल 128 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 62,900 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा हितकारिणी,प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित एवं गुजराती समाज भवन,नई आबादी छिंदवाड़ा से प्रकाशित ।संपादक क्रांति चतुर्वेदी।* फोन- 235677,235988 E-mail-nbchh123@gmail.com *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. MPHIN/2000/2589